



Neutral Citation No.- 2026:AHC:124453

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19005 वर्ष 2026

संत चौहान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मनीष मणि, विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी का संक्षिप्त विवरण रखते हुए अधिवक्ता श्री विकास यादव, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामकुमार वर्मा को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

8. यह वर्तमान जमानत आवेदन केस अपराध संख्या 51 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 109(1), 191(2), 115(2), 351(3), 352, पुलिस स्टेशन-बरहज, जिला देवरिया के तहत विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर के साथ-साथ घायल के बयान में भी, आवेदक के खिलाफ यह आरोप है कि उसने 'गंडासा' से घायल पर हमला किया है। हालाँकि, घायल की चोट रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी चोटें सामान्य प्रकृति की हैं और ये घायल के परिवार और आवेदक के परिवार के बीच हुई हाथापाई के दौरान लगी हैं, जिसमें आवेदक की माँ को भी चोटें आई हैं।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में चार्जशीट दायर की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 20.02.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

11. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

12. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश को देखते हुए, जो **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में रिपोर्ट किया गया है, और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश को देखते हुए, जो **2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** में रिपोर्ट किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

13. आवेदक-**संत चौहान**, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक सीधे या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।
- iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. बांड स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
10. आवेदक के साथ-साथ जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
11. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।
12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह 31.01.2023 को दिए गए (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए जमानत देने के लिए नीति रणनीति, इन री: सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 मामले और 29.05.2026 को निर्णित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, पिला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर देवरिया जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल पर आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

1 जून, 2026

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।